मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1 चन्द्रप्रकाश आत्मज मांगीलाल जाति मीणा
2 शिवराज आत्मज मांगीलाल जाति मीणा
3 कातीबाई पत्नि मांगीलाल जाति मीणा
निवासीगण ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1 मांगीलाल पुत्र जीवन लाल जाति मीणा निवासी ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा

मिसल नं 76/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उभय पक्षकारान की ओर से सहमति से राजीनामा प्रस्तुत करने पर उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर आदेशिका पर लिये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत सहमति से राजीनामा को वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य प्रस्तुत राजीनामा को स्वाकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ हैः–

राजीनामा

यह कि उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिसके तहत निम्न प्रकार से भूमि का विभाजन कर मौके पर काबिज हो गये हैं।

1– वादी न0 1 व 3 के हिस्से मे आयी भूमि
ख.न. 1181/702 रकवा 2.85 मे से 0.64 हे०
ख–न 58 रकवा 0.59

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

ख.न. 196 रकवा 0.14 हे०

ख.न. 58 रकवा 0.59
ख.न. 567 रकवा 0.18
ख.न. 197 रकवा 0.22
ख.न. 646/1062 रकवा 0.36हे.
ख.न. 567 रकवा 0.18 हे०

2— वादी न0 2 के हिस्से में आयी भूमि

ख. न. 1181/702 रकवा 2.85 में से 2.21हे.
ख.न. 196 रकबा 0.14 है0
ख.न. 63 रकबा 0.37हे०
ख.न० 702/1082 रकवा 0.01हे०
ख.न. 196 रकबा 0.14 है०

3— यह कि प्रतिवादी न0 1 के पास अन्य गांव की भूमि है इस कारण ग्राम ढाबा में कोई भूमि प्राप्त नहीं करना चाहता है तथा वादीगण के ही खाते दर्ज करवाना चाहता है।

4— यह कि प्रतिवादी न0 1 सिनियर सिटीजन व असहाय व्यक्ति है और वादीगण प्रतिवादी न0 1 की सेवा करेंगे व भविष्य में वाणिज्य ने प्रतिवादी न01 की की सेवा सुश्रृषा नहीं की तो उक्त भूमि वापिस प्रतिवादी न01 अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी होगा।

मुताबिक प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पारित निर्णय अनुसार पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार यदि राजस्व बनता है तो पक्षकारान से लिया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 10/9/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थ्मलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)